न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती सुमित्रा पारीक आर.ए.एस.

मुकदमा न. 106/2020

प्रार्थीगण:–

1. श्री महावीरचन्द पुत्र श्री जतनमल डाकलिया, बहैसियत खुद व बहैसियत आम मुख्त्यार सह खातेदार
2. किशनमल पुत्र श्री जतनमल डाकलिया
3. प्रेमचन्द पुत्र श्री जतनमल डाकलिया
4. हीराचन्द पुत्र श्री जतनमल डाकलिया
5. सुरेशचन्द पुत्र श्री जतनमल डाकलिया

सभी जातियान् जैन (ओसवाल), निवासीगण–बैधों का बास, महामन्दिर, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. पवन कुमार पुत्र श्री लादुचन्द,
2. प्रवीण कुमार पुत्र श्री लादुचन्द

दोनों जातियान् महाजन, निवासीगण ग्राम बावड़ी तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर

3. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार, बावड़ी जिला–जोधपुर
4. पटवारी, बावड़ी चक–प्रथम, जिला–जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. श्री माणकराम माली, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय:–

दिनांक:– 01/04/2022

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। कि प्रार्थीगण सहखातेदार तथा आपस में भाई है। तथा प्रार्थी सं. 2 से 5 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि के बाबत् एक आम मुख्त्यार नामा निष्पादित कर अपना आम मुख्त्यार नियुक्त हुआ है।

प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि मौजा ग्राम बावड़ी चक–प्रथम, तहसील बावड़ी जिला–जोधपुर की सरहद में खसरा नं. 1601 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा आयी हुई है। राजस्व रेकर्ड में नक्शे में उक्त वर्णित खसरा न. 1601 के बतरफ पूर्व में जोधपुर–नागौर नेशनल हाईवे आया हुआ है। तथा बतरफ पश्चिम में एक कटाण रास्ता आया हुआ है तथा उक्त कटाण रास्ते के आगे यानि बतरफ पश्चिम में प्रार्थीगण की ही खातेदारी भूमि खसरा न. 740 मौजा ग्राम बावड़ी चक–द्वितीय की भूमि आयी हुई है। उक्त स्थिति के अनुसार ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न. 1601 की तरमीम की हुई थी तथा मौके पर प्रार्थीगण इसी स्थिति अनुसार काबिज काश्तकार चले आ रहे है जिसके सत्यापित ट्रेस नक्शे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध है, जो प्रार्थीगण ने दिनांक 10.06.2019 को पटवारी हल्का से प्राप्त की गई।

अभी हाल ही में अप्रार्थीगण सं 1 [illegible] गण की खसरा नं. 1601 की कृषि भूमि पर मौके पर आ[illegible] जबकि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 जो कि खसरा न. 1601/2 [illegible] बीघा 19 बिस्वा के [illegible]र है। जो भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1[illegible] के बतरफ पूर्वी [illegible] स्थित जोधपुर–नागौर नेशनल हाईवे के बतरफ पूर्वी दिशा में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:58:33 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

कहा कि ये भूमि हमारी है तथा हम यहां कई वर्षो से काबिज काश्तकार है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने राजस्व रेकर्ड ट्रेस नक्शे की प्रति दिखाते हुए कहा कि ये नया ट्रेश नक्शा है जो वर्तमान पटवारी ने जारी किया है। जिसके अनुसार ये भूमि हमारी है। जिस पर प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का के पास जाकर उक्त त्रुटिवंश ट्रेस नक्शे के बारे में जानकारी चाही तथा उसकी सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की तो पटवारी ने भी वही त्रुटिवंश ट्रेस नक्शा दिया, जहां प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1601 के स्थान पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खेत खसरा नं. 1601/2 दर्शा दिया तथा प्रार्थीगण की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 व 2 के स्थान पर दर्शा दिया तथा त्रुटिवंश ट्रेस नक्शे की आड़ में प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी प्रार्थीगण ने अपनी भूमि पास–पास खरीद की है, जो वर्ष 1994 की खरीदसुदा है। तथा वर्ष 1994 से ही उक्त स्थिति अनुसार मौके पर पीढ़ियों से काबिज काश्तकार है, परन्तु वर्तमान दिनांक 10.06.2019 तक सही चल रही तरमीम को बिना किसी आदेश व प्रक्रिया अपनाये मनमाने तौर से गलत तरमीम करते अप्रार्थी सं. 4 ने ट्रेस नक्शा जारी कर दिया गया, जिसकी दुरस्ती हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बावड़ी चक–प्रथम के खसरा नं. 1601 की भूमि की तरमीम पूर्ववर्त राजस्व नक्शे व ट्रेस नक्शे अनुसार की जाकर वर्तमान जारी ट्रेस नक्शे मं शुद्धि किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीण सं. 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बिश्नोई उपस्थित। अप्रार्थी सं. 3 व 4 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से जबाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। तहसीलदार बावड़ी व पटवारी हल्का बावड़ी–प्रथम की संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी को सुना जाकर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बावड़ी को मौका कमशिनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिया गया कि वे स्वयं मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट पेश करें।

तहसीलदार बावड़ी ने पत्रांक/2673 दिनांक 12.11.2020 द्वारा मौका जांच रिपोर्ट पेश की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जबाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

पक्षकारन् अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ऑनलाईन तरमीम गड़बड़ हुई है जिसको दुरस्त किया जाकर पूर्व की भांति संलग्न नक्शा ट्रेस सन् 2012 के अनुसार सही किया जावे। तथा दिनांक 08.08.1994 की रजिस्ट्री में पेज संख्या 3 के पैरा 1 पर भी प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा की भूमि जोधपुर नागौर रोड़ से चिपती हुई है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के जबाबत के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया गया और बताया गया कि पुनः मौका कमीशनर रिपोर्ट मंगवाई जावें।

पत्रावाली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पक्षकारन् अधिवक्तो की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पुनः मौका रिपोर्ट चाहते है। लेकिन तहसीलदार बावड़ी से दिनांक 12.11.2020 व दिनांक 12.10.2021 को दो बार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है उक्त रिपोर्ट दिनांक 12.11.2020 में क्र.स. 4 पर तहसीलदार द्वारा स्पष्ट लिखा है (मौका मेरे द्वारा हल्का पटवारी बावड़ी चक प्रथम

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:28:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के साथ देखा गया एवं पाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर जोधपुर खसरा नम्बर 1601/1 के पश्चिम की तरफ व पूर्व की तरफ उक्त खसरे आये हुए है) । तहसीलदार स्वयं व पटवारी मौके पर गये है इसलिए बार-बार रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है। यह प्रकरण समरी ट्रायल का होने के कारण बार-बार रिपोर्ट मंगवाने का औचित्य नहीं है। दस्तावेज में रजिस्ट्री 1994 की लगी हुई है। नक्शा ट्रेस (काले वाले) सत्य प्रतिलिपि दिनांक 05.02.2012 एवं 10.06.2019 लगी हुई है।

तहसीलदार बावड़ी ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 12.11.2020 में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग जोधपुर-नागौर खसरा नं. 1601/1 के पश्यिम की तरफ व पूर्व की तरफ उक्त खसरे आये हुए है। मौके व रिकार्ड की स्थिति अनुसार खसरां नं. 1601 तथा खसरा 1601/2 दोनों खसरें राजस्व रिकार्ड क्रमशः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। जिनकी रकबा क्रमशः 02 बीघा 04 बिस्वा व 02 बीघा 19 बिस्वा है। तथा मौके पर दोनों खसरे वर्तमान नक्शे के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के क्रमशः पूर्व व पश्चिम में दर्शाये गये है। खसरा नं. 1601 को प्रार्थीगण ने जब जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा के दिनांक 08.08.1994 को क्रय किया तो खसरा सं. 740 के साथ दोनों खसरों को एक ही विक्रेता से एक ही बेचान दस्तावेज से विक्रय करते हुए विक्रेता ने लिखा कि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से चिपती हुई आयी हुई है।

वर्तमान में खसरा नम्बर 740 ग्राम बावड़ी चक-2 में आया हुआ है। जिसके बाद पूर्व दिशा में रास्ता आया हुआ है। जिससे खसरा नं. 740 व खसरा नं. 1601 दोनों खसरे नेशनल हाईवे पर आये हुए सिद्ध होते है। परन्तु अब खसरा नं. 1601 की जगह लिपिकीय त्रुटि से खसरा नं. 1601/2 लिख देने से व 1601/2 की जगह 1601 नक्शे में लिख देने से विक्रित खं.न. 740 नेशनल हाईवे पर नहीं रहता है। इससे सिद्ध होता है कि खं.न.1601 वास्तव में विक्रय के वक्त नेशनल हाईवे से चिपता पश्चिम में विक्रय किया गया था। जो लिपिकीय त्रुटि से अब नक्शे में नेशनल हाईवे की पूर्व में चिपते दिखाकर खं.न. 1601 के स्थान पर 1601/2 लिपिकीय भूल से लिख दिया गया है। इसी कारण से बेचान दस्तावेज में अंकित पड़ौस से भिन्नता नक्शे मे पैदा हुई है। उक्त भूमि खं.न. 740 व खं.न. 1601 का नामान्तरण से 2531 भरा गया था। जिसकी पुश्त पर तरमीम अंकित नहीं है।

खसरा नं. 1601/2 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा के क्रेताओं के नाम नामान्तरण सं. 1848 भरा गया था। इस नामान्तरण के जरिये क्रेताओं के नाम से खं.नं. 1600, 1601/2, व 1599/2 दर्ज हुए थे, यदि इस लिपिकीय त्रुटि को सुधार दिया जाये तो खं.नं. 1601/2 की भूमि खं.न. 1600 से चिपते हुए पश्चिम में आती है। यह भी एक चक बनता है। एवं यह चक राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व दिशा में बनता है। असके नामान्तरण संख्या 1848 के भी पुश्त पर तरमीम अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ऑनलाईन नक्शे में लिपिकीय भूल से हुई त्रुटि को दुरस्त करने के लिए राजस्व नक्शे मं खसरा नं. 1601 के स्थान पर खं.न. 1601/2 तथा खं.न. 1601/2 के स्थान पर खं.न. 1601 अंकित करने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर मनन करने की पश्चात वर्तमान नक्शे में खसरों के नम्बर लिपिक[illegible] से प्रार्थीगण के बावड़ी चक प्रथम के खसरा नम्बर 740 के बाद रास्ते [illegible] खं.न. 1601/2 आ जाने से उक्त भूमि एक चक के रूपम` [illegible] वैसे नहीं रहती है। एवं इसी प्रकार खं.न. 1600 से [illegible] पर खसरा नं. 1601 आ जाने से खं.न. 1600 के खातेदार भी नेशनल हाईवे [illegible] दूर हो जाते है। जबकि इनका खं.न.

सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:58:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1601/2 खं.न. 1601 के स्थान पर अंकित कर देने से यह भूमि खं.न. 1601/2 व 1600 की थी, एक चक में होकर नेशनल हाईवे के पूर्व में आ जाती है। पत्रावली में रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शे, जमाबन्दिया तथा एक बेचान दस्तावेज से स्पष्ट है कि मौके पर खसरा के शक्लों के नक्शे की मौके अनुसार ही बने हुए है। भूमि मौके पर खाली है। परन्तु मात्र खसरा नं. बदल कर लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज हो गये है। तहसीलदार बावड़ी द्वारा भी लिपिकीय त्रुटि होना स्वीकार किया गया है। एवं सुधार हेतु अभिशंषा की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम बावड़ी चक–प्रथम राजस्व ऑनलाईन नक्शे में लिपिकीय भूल से हुई त्रुटि को दुरस्त कर राजस्व नक्शे में खसरा नं. 1601 के स्थान पर खसरा नं. 1601/2 तथा खसरा नं. 1601/2 के स्थान पर खसरा नं. 1601 अंकित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है। कि उपरोक्त दुरस्त की गई तरमीम का राजस्व नक्शे में अंकन करावें। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट को इस आदेश का भाग माना जावे। एवं निर्णय का अंग सुमार समझा जावे। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(सुमित्रा पारीक आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

निर्णय आज दिनांक 01/04/2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:38:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner